प्रेस नोट
दिनांक 12.08.2024

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा 03 हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0–225/24, धारा 103(1),238 बीएनएस व 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित 03 आरोपी अभियुक्तों– 01. शोभाराम मौर्य पुत्र चेतराम, 02. कौशल किशोर पुत्र दुखहरन, 03. पुष्पा देवी पत्नी कौशल चौहान को धानेपुर से गोण्डा जाने वाले रोड पर स्थित चन्द्रशेखर बालिका इण्टर कालेज माधवगंज मोड़ से गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से मृतक की साईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 09.08.2024 को थाना धानेपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम विशम्भरपुर निवासी राधेश्याम पासवान पुत्र रामदर्शन ने थाना धानेपुर में सूचना दी कि उनका लड़का जितेंद्र पासवान उम्र करीब 24 वर्ष दिनांक 08.08.2024 को समय करीब दोपहर 3:00 बजे नाग पंचमी त्यौहार हेतु घरेलू सामान लेने धानेपुर बाजार गया था, जो अभी तक घर वापस नही आया है। सूचना पर थाना धानेपुर पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी कि दिनांक 10.08.2024 को जितेंद्र पासवान का शव नगर पंचायत धानेपुर के कल्याण नगर वार्ड नम्बर–05 स्थित सागौन के बाग से प्राप्त हुआ। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण द्वारा थाना स्थानीय पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। मृतक के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तथा फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वायड टीम को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। मृतक के पिता राधेश्याम पासवान की तहरीर पर थाना धानेपुर में 04 नामजद व 01 अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर थानाध्यक्ष धानेपुर को अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए व एस0ओ0जी0/सर्विलांस टीम को भी लगाया गया। उक्त निर्देश के अनुक्रम में प्राप्त तकनीकी/मैनुअल साक्ष्य के आधार पर थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा 03 आरोपी अभियुक्तों– 01. शोभाराम मौर्य पुत्र चेतराम, 02. कौशल चौहान पुत्र दुखहरन, 03. पुष्पा देवी पत्नी कौशल चौहान को धानेपुर से गोण्डा जाने वाले रोड पर स्थित चन्द्रशेखर बालिका इण्टर कालेज माधवगंज मोड़ से गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से मृतक की साईकिल बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त शोभाराम मौर्या व कौशल चौहान दोस्त थे तथा शोभाराम मौर्या का कौशल चौहान की पत्नी पुष्पा देवी से सम्बन्ध था। जिसकी जानकारी मृतक जितेन्द्र पासवान को हो गयी थी और वह अक्सर शोभाराम मौर्य पर टिप्पणी किया करता था व कौशल चौहान के घर आने–जाने लगा था। इसी बात से क्षुब्ध होकर शोभाराम मौर्या व पुष्पा द्वारा जितेन्द्र पासवान के उसके घर आने–जाने को लेकर कौशल चौहान को भड़काया गया तथा दिनांक 08.08.2024 को योजनाबद्ध तरीके से शोभाराम मौर्य, कौशल चौहान व पुष्पा देवी द्वारा कमलेश नाई के सागौन के बाग में जितेन्द्र पासवान को बुलाकर शराब पिलायी गयी और वही पर गला दबाकर जितेन्द्र पासवान की हत्या कर दी गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. शोभाराम मौर्य पुत्र चेतराम मौर्य नि0 चकिया मौजा ख्वाजाजोत थाना धानेपुर।
02. कौशल चौहान पुत्र दुःख हरण निवासी ग्राम विशंभरपुर थाना धानेपुर।
03. पुष्पा देवी पत्नी कौशल चौहान निवासी ग्राम विशंभरपुर थाना धानेपुर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–225/24, धारा 103(1),238 बीएनएस व 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. मृतक की साईकिल।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. थानाध्यक्ष धानेपुर सुनील कुमार सिंह।
02. उ0नि0 राजेश कनौजिया।
03. उ0नि0 नागेश्वर पटेल।
04. हेड का0 आनन्द प्रकाश यादव।
05. हेड का0 फहीमुद्दीन खान।
06. हेड का0 अम्बरीश मिश्रा।
07. हेड का0 धर्मेन्द्र यादव।
08. म0का0 सुशीला देवी।
09. म0का0 नितांशी शुक्ला।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 12.08.2024, थाना कोतवाली नगर

जनपद गोण्डा।

को0नगर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड पीड़ित के रु 40,000/- कराए गये वापस, पीड़िता ने गोण्डा पुलिस को कहा धन्यवादः-

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली नगर पर गठित साइबर हेल्प डेस्क कर्मियों द्वारा पीड़ित से फ्रॉड की गयी धनराशि को साइबर सेल गोण्डा व सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए ठगी गयी धनराशि- 40,000/- रूपये पीड़ित के खाता में वापस करवाया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक(साइबर फ्रॉड पीड़ित) श्याम नारायण मिश्रा निवासी गंगापुर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्ड़ा द्वारा थाना कोतवाली नगर को सूचना दिया कि आँनलाइन लोन लेने के लालच में आकर यू0पी0आई0 के माध्यम से रूपये फ्रॉड कर ट्रांसफर करा लिया गया है । जिस पर थाना कोतवाली नगर पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त कर्मियों द्वारा साइबर सेल गोण्डा व सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित कर तत्काल कार्यवाही करते आवेदिक के 40,000/- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए गोण्डा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

नोटः- साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं पुलिस को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 या डायल-112 पर भी शिकायत दर्ज कराएँ।

सराहनीय कार्य करने वाली टीम में साइबर हेल्प डेस्क के प्रभारी उ0नि0 उदित कुमार वर्मा, का0 पंकज कुमार, म0का0 शिवानी तिवारी शामिल रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 12.08.2024, थाना नवाबगंज
जनपद गोण्डा।

थाना नवाबंगज क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 238/2024, धारा 376(3), 504, 506 भादवि व 5j(ii)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त अभिषेक कोरी पुत्र धर्मेन्द्र कुमार उर्फ गोली निवासी शोभापुर थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा को किशुनदास पुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा दिनांक 17.07.2024 को थाना नवाबगंज पर सूचना दिया कि उसकी नाबालिग लड़की शौच के लिए गाँव के पूरब दिशा में गयी थी उसी दौरान विपक्षी द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0- 238/2024, धारा 376(3), 504, 506 भादवि व 5j(ii)/6 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त अभिषेक कोरी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 12.08.2024 को थाना नवाबगंज की पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त अभिषेक कोरी पुत्र धर्मेन्द्र कुमार उर्फ गोली को थाना नवाबगंज पुलिस के द्वारा किशुनदास पुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. अभिषेक कोरी पुत्र धर्मेन्द्र कुमार उर्फ गोली निवासी शोभापुर थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 238/2024, धारा 376(3), 504, 506 भादवि व 5j(ii)/6 पाक्सो एक्ट थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्र0नि0 निर्भय नरायण सिंह
02. का0 अतुल कुमार सिंह
03. का0 अमित सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 12.08.2024, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी अभियुक्तों को हुई 08-08 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रूपये 5,500/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी शिवकुमार पुत्र मंगल प्रसाद निवासी रामनगर छिन्ना थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा दिनाकं 28.03.2018 को थाना खरगूपुर को सूचना दिया कि उनके पिता मंगल प्रसाद को विपक्षीगण पुरानी रंजीश को लेकर घर के पास गन्ने के खेत में मार पीट कर घायल कर दिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । दवा इलाज के दौरान वादी के पिता की मृत्यु हो गयी थी जिसके आधार पर अभियोग में धारा 304 की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 परमानन्द तिवारी द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 06.05.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री सर्वजीत कुमार सिंह द्वारा थाना खरगूपुर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री चन्द्रशेखर प्रकाश सिंह, कोर्ट मोर्हरिर म0आ0 वन्दना व थाना खरगूपुर के पैरोकार का0 अटल कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 12.08.2024 को दोषी अभियुक्तों – 01. रामदीन, 02. दीनानाथ व 03. सावित्री देवी को 08-08 वर्षों का कारावास व 5,500/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्त का नाम पता-

01. रामदीन पुत्र ननकू निवासी रामनगर झिन्ना थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. दीनानाथ पुत्र ननकू रामनगर झिन्ना थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
03. सावित्री देवी पत्नी रामदीन निवासी रामनगर झिन्ना थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 45/2018, धारा 323, 304, 504 भादवि थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा